



वमिन नयिमावली, 1937 में संशोधन

स्रोत: पी.आई.बी.

हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने वमिनन वनियमन के तहत सुरक्षा और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वमिन नयिमावली, 1937 में संशोधन को अधिसूचित किया है।

- ये संशोधन भारत के वमिनन नयिमों को **अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (International Civil Aviation Organization-ICAO)** के मानकों और **अनुशंसित प्रथाओं (SARP)** तथा अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करते हैं।

वमिन नयिमावली, 1937 में प्रमुख संशोधन:

- **लाइसेंस की वैधता का वसितार:**
 - संशोधन ने एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस (ATPL) और कमरशायिल पायलट लाइसेंस (CPL) धारकों के लाइसेंस की वैधता पाँच साल से बढ़ाकर दस साल कर दी।
 - इस बदलाव से लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और **नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA)** जैसे- पायलट्स एवं वमिनन प्राधिकरणों पर प्रशासनिक बोझ कम होने का अनुमान है।
- **फाल्स लाइट पर बेहतर नियंत्रण:**
 - संशोधन में वमिनन स्रोतों को शामिल करने के लिये "लाइट" की परिभाषा को स्पष्ट किया गया और सरकार के अधिकार क्षेत्र को एक हवाई अड्डे के आसपास 5 किलोमीटर से 5 समुद्री मील तक बढ़ा दिया गया है।
 - इसने सरकार को वमिन संचालन में बाधा डालने वाली लाइट प्रदर्शित करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया और अज्ञात स्रोत वाली लाइट के मामले में सरकार हस्तक्षेप कर सकती है तथा **भारतीय दंड संहिता (IPC)** के तहत कानूनी कार्रवाई के लिये संबंधित अधिकारियों को मामले की रिपोर्ट कर सकती है।
- **नरिस्थक नयिम को हटाना:**
 - विदेशी लाइसेंसों के सत्यापन से संबंधित नयिम 118 को **वमिनन क्षेत्र की उभरती ज़रूरतों** के साथ नयिमों को संरेखित करने के लिये हटा दिया गया था।
- **हवाई यातायात नियंत्रक लाइसेंस के लिये उदारीकृत आवश्यकताएँ:**
 - इस संशोधन ने एयर ट्रेफिक कंट्रोलर लाइसेंस धारकों के लिये **नवीनता और योग्यता आवश्यकताओं में लचीलापन प्रदान किया है**, जिससे समियुलेटेड अभ्यास, आपात स्थिति एवं कौशल मूल्यांकन करने की अनुमति मिल गई।
 - यह **नरिंतर क्षमता सुनिश्चित करता है**, विशेष रूप से सीमित गतिविधियों या वॉच ऑवर के दौरान।

इन संशोधनों का महत्त्व:

- ये संशोधन हवाई अड्डों के आसपास "फॉल्स लाइट्स" के प्रदर्शन से संबंधित चिंताओं का समाधान करके वमिनन सुरक्षा को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- वसितारित क्षेत्राधिकार और स्पष्ट परिभाषाएँ एक सुरक्षित परिचालन परविश सुनिश्चित करती हैं, जिससे वमिन संचालन में संभावित खतरों एवं व्यवधानों को कम किया जाता है।
- सुव्यवस्थित लाइसेंसिंग प्रक्रिया और अनावश्यक नयिमावलियों को हटाने से **अधिक व्यापार-अनुकूल वातावरण में योगदान मिल सकता है**, नविश आकर्षित हो सकता है तथा वमिनन उद्योग में विकास को बढ़ावा मिल सकता है।

ICAO का परिचय:

- यह **संयुक्त राष्ट्र** की एक विशेष एजेंसी है जिसने वर्ष 1944 में दुनिया भर में सुरक्षित, संरक्षित और कुशल हवाई परिवहन को बढ़ावा देने के लिये बनाया गया था।
- ICAO वमिनन के लिये **अंतर्राष्ट्रीय मानकों और अनुशंसित प्रथाओं** को विकसित करता है, जिसमें हवाई नेविगेशन, संचार और हवाई अड्डे के संचालन के लिये नयिम शामिल हैं।
- यह हवाई यातायात प्रबंधन, वमिनन सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसे वैश्विक वमिनन मुद्दों को संबोधित करने के लिये भी काम करता है।

- इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में है।

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/amendment-to-aircraft-rules,-1937>

